न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 32 / 2007

पीठासीन अधिकारी करतार सिंह पूनियाँ
RAS

1 बल्लाराम उम्र 50 वर्ष पुत्र सुरजाराम।
2 नरोतम उम्र 45 वर्ष पुत्र सुरजाराम।
3 फूलचन्द उम्र 40 वर्ष पुत्र सुरजाराम।
4 राजेन्द्र प्रसाद उम्र 35 वर्ष पुत्र सुरजाराम।
5 श्रीमती सुरजी उम्र 75 वर्ष पत्नी सुरजाराम समस्त जाति माली निवासीगण पहाडिला तन चिराणा तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1 भगवाना उम्र 50 वर्ष पुत्र जोधाराम।
2 गोपाल उम्र 49 वर्ष पुत्र बलाराम।
3 श्रीमती म्हादी उम्र 70 वर्ष पत्नी जोधाराम।
4 श्रीमती बनारसी उम्र 71 वर्ष पत्नी बलाराम समस्त जाति माली निवासीगण चिराना वार्ड नम्बर 26 तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।
5 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

रेस्पोंडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर- (कैम्प झुन्झुनूँ)

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 30.03.07
द्वारा उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ उनवानी दावा
भगवाना बनाम बलाराम दावा बाबत घोषणा, रिकार्ड
दुरूस्ती, स्थाई निषेधाज्ञा मुकदमा नम्बर 14/2004

उपस्थित

1. श्री जगदीश चन्द्र अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री भगवान सिंह अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 12.12.2018

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ द्वारा दावा संख्या 14/2004 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.03.2007 के विरूद प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण रेस्पोडेंट संख्या 1 से 4 ने विचारण न्यायालय में दावा घोषणार्थ रिकार्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत भूमि गत खसरा नम्बर 2177 हाल खसरा नम्बर 153 रकबा 0.23 हैक्टेयर प्रस्तुत किया विचारण न्यायालय में अपीलांट ने जवाब दावा प्रस्तुत कर विवादित भूमि स्वंय की पैतृक एवं कब्जे काश्त की होना बताकर वाद वादीगण अस्वीकार कर खारिज करने का निवेदन किया विचारण न्यायालय ने 4 तनकीयात कायम कर उभयपक्ष के साक्ष्य लेकर बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय व डिक्री से वाद वादी डिक्री किया जिससे व्यथित होकर प्रतिवादीगण की और से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि अपीलांट के पूर्वजो की खातेदारी की है तभी से अपीलांटस का कब्जा चला आ रहा है। रेस्पोडेंट अथवा उनके पूर्वजों का न तो राजस्व रिकार्ड में नाम रहा न ही कब्जा काश्त रहा है। कब्जे के अनुतोष के अभाव में घोषणा का वाद डिक्री करने में विचारण न्यायालय में विधिक भूल की है नामान्तकरण संख्या 852 अपीलांटस के हक में सही भरा गया था जिसकी कोई अपील वादीगण ने नही की है। विचारण न्यायालय ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट 20.02.2004 को आधार बनाकर निर्णय पारित किया है। जो विधि विरूद्व है वादीगण ने सुरजा को अपना ताऊ बताकर घोषणा का वाद पेश किया है। जबकि सुरजा ने अपने जीवनकाल में अपनी समस्त भूमि का बेचान कर दिया था अत उसके आधार पर वाद वादी खारिज होने योग्य था जिसे डिक्री कर विचारण न्यायालय ने विधिक भूल की है अत अपील स्वीकार कर विचाराधीन निर्णय व डिक्री का अपास्त किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय को निर्णय प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य का विवेचन कर पारित किया गया है। जिसमें कोई विधिक त्रुटि नही है अपील अपीलांट सारहीन है अपील खारिज की जायें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय के समक्ष वादीगण रेस्पोडेंटस ने खसरा नम्बर 2177 रकबा 2 बिघा 12 बिस्वा की खातेदारी की उदघोषणा का वाद प्रस्तुत किया विचारण न्यायालय की पत्रावली में भूमि खसरा नम्बर 2177 की जमाबंदी संवत 2012 संलग्न है। जिसमें खुद कास्त खेतसिंह पुत्र फुलसिंह जाति राजपुत साकिन देह दर्ज है इसके उपरान्त धारा 19 में यह भूमि सुरजा पुत्र पन्ना के नाम जरिये नामान्तकरण दर्ज हुई है। जिसे आज तक चुनौति नही दी गई है अत

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

सुरजा पुत्र पन्ना की विवादित भूमि की खातेदारी निर्विवाद है। जमाबंदी संवत 2016 से 2032 तक खसरा नम्बर 2177 सुरजा के नाम दर्ज रहा है संवत 2033 से 2036 की जमाबंदी में खसरा नम्बर 2177 सुरजा पुत्र पन्ना जाति माली जरिये शुद्वि पत्र ढ़ाणी बावलीवाली के नाम संशोधन का नोट जमाबंदी में अंकित है सुरजा की फौतगी पर विरासत का नामान्तकरण अपीलांट के नाम जनसुनवाई शिविर में दिनांक 16.10.1997 को स्वीकृत किया गया है। जिसे आज तक चुनौति नही दी गई है। खसरा नम्बर 2177 के मिलान क्षेत्रफल के अनुसार हाल खसरा नम्बर 153 बनना साबित है। जमाबंदी संवत 2057 से 2060 एवं खसरा गिरदावरी संवत 2057 से 2060 में विवादित भूमि गत खसरा नम्बर 2177 हाल खसरा नम्बर 153 अपीलांटस के नाम दर्ज रिकार्ड है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में सुरजा पुत्र पन्ना जाति माली ढ़ाणी व कुआं बावडी तन ग्राम चिनाणा तहसील उदयपुरवाटी द्वारा निस्पादित विक्रय पत्र दिनांक 23.10. 1980 की प्रति उपलब्ध है जिसमें अंकित है कि खसरा नम्बर 2177 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा में से 1 बिस्वा भूमि सड़क में अवाप्त हो गई, 1 बीघा 7 बिस्वा भूमि सुरजा ने विद्युत विभाग को विक्रय कर दी। शेष बची 1 बीघा 9 बिस्वा 13 बिस्वांसी भूमि इस विक्रय पत्र द्वारा सुरजा ने नवयुवक मण्डल डहर ग्राम चिराना को विक्रय की है। इस विक्रय पत्र से यह स्पष्ट होता है कि वादीगण के पूर्वज सुरजा ने खसरा नम्बर 2177 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा सम्पूर्ण का निस्तारण/विक्रय अपने जीवनकाल में स्वंय ने कर दिया था तो जब सुरजा का विवादित भूमि में कोई हिस्सा शेष ही नही रहा तो उसके फुट स्टेप पर वादीगण किसी भी प्रकार की घोषणा के अधिकारी नही पाये जाते है। विचारण न्यायालय ने इस पर न तो कोई गौर किया न ही विवेचन किया ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

विचारण न्यायालय की पत्रावली में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य नही है जिससे विवादित भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त होना प्रमाणित होता हो वादीगण द्वारा अपने वाद में विवादित भूमि के कब्जा प्राप्ति का कोई अनुतोष भी नही चाहा गया है। विधि अनुसार कब्जे के अभाव में घोषणा का वाद पोषणीय ही नही होता है विचारण न्यायालय में इस बिन्दु पर भी कोई विवेचन किये बिना विचाराधीन निर्णय व डिक्री पारित किया है जो विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

विचारण न्यायालय ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 20.02.2004 को विचाराधीन निर्णय व डिक्री का आधार बनाया है हमने इस रिपोर्ट का अवलोकन किया प्रथम तो पटवारी द्वारा यह रिपोर्ट किस के आदेश पर किन–किन पक्षकारों को सूचित कर किन–किन पक्षकारों की मौजुदगी में तैयार की गई है इसका कोई उल्लेख विचारण न्यायालय की पत्रावली अथवा इस रिपोर्ट में नही है ऐसी स्थिति में इस रिपोर्ट के आधार पर कोई निर्णय पारित नही किया जा सकता है। यहां यह भी विचारणीय है कि विचारण न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध उपरोक्त विवेचित राजस्व रिकार्ड से वादी का वाद स्वीकार योग्य नही पाया गया है फिर केवल मात्र पटवारी रिपोर्ट के आधार पर विवादित भूमि की खातेदारी वादीगण के पक्ष में घोषित करना विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 30.03.2007 विधि सम्मत नही पाये जाने से खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 12.12.18 को सरे इजलास सुनाया गया।

12/12/18

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर